

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 02/277/2014

रामनारायण बनाम हरिनारायण वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 04.06.2018



आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि वो अब प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उनके द्वारा कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के आग्रह पर कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)